

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

—अधिसूचना—

अधि०सू०सं०-01/स्था०राज०-330/2025-992

पटना, दिनांक 17 जुलाई, 2025

श्री कैलाशनाथ, तत्कालीन सहायक निदेशक, ईख विकास, गया (गयाजी) का दिनांक-06.03.2025 से दिनांक-10.03.2025 तक की अवधि को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-393 दिनांक-08.04.2025 के द्वारा देय अवकाश के रूप में विनियमित किया गया था।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी, बिहार, पटना महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, पटना के पत्रांक-GN:-160520251200500 Gen No.-0270/2025-2026 के आलोक में एवं महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-LR260620251200305 LRNo. 0153/2025-2026 से प्राप्त छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन के आधार पर श्री कैलाश नाथ को बिहार संवा संहिता के नियम 227-28 के अंतर्गत दिनांक-05.03.2025 तक 300 दिनों का अर्जित अवकाश देय है, जिसके आलोक में दिनांक-06.03.2025 से 10.03.2025 तक की अवधि को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति दी जाती है। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-393 दिनांक-08.04.2025 इस हद संशोधित समझा जाय।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अरुण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या- 992

पटना, दिनांक 17 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक/सभी संबंधित पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना /श्री कैलाशनाथ, तत्कालीन सहायक निदेशक, ईख विकास, गया (गयाजी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार)
अवर सचिव।